फर्द अहकाम

आलोक बनाम हरिकिशन

नाम न्यायालय ACII

केस संख्या दावा/190/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		आज दिनांक 13/11/25 को पत्रावाली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/ [illegible] बहिष्कार/[illegible] किये जाने के कारण, न्यायायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश [illegible] अतः पत्रावली पर्यावसार दिनांक 17/11/25 [illegible] हों।
	17/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील प्रतिवादीगण की आपत्ति बहस हेतु अन्तिम अवसर दिये [illegible] उपस्थित नहीं रहे अतः बहस आपत्ति कुर्बान/बंद किया जाता है। वकील वादीगण [illegible] की बहस सुनी व सम्पूर्ण पत्रावली का मय दस्तावेज व आपत्ति [illegible] का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण की आपत्ति [illegible] [illegible] खारिज किया जाकर [illegible] [illegible] [illegible] वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली [illegible] शुमार होकर [illegible] [illegible] निर्णय [illegible] दिनांक 17/11/25 शामिल [illegible] है। निर्णय की [illegible] लिखाया जाकर [illegible] [illegible] गया।

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

न्यायालय सहायक क[illegible]

पत्र संख्या 190/2024

आलोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री नाथू[illegible]
एस–55 आदिनाथ नगर, जे.एल.एन.[illegible]

श्रीमती रितु गुप्ता पत्नी श्री आलोक [illegible]
एस–55 आदिनाथ नगर, जे.एल.एन.[illegible]

[illegible]ना खण्डेलवाल पुत्री श्री आलोक [illegible]
एस–55 आदिनाथ नगर, जे.एल.एन.[illegible]

[illegible] खण्डेलवाल पुत्र श्री आलोक कुमार [illegible]
[illegible]एन. मार्ग जयपुर

[illegible]आर्यन रियल्टी जरिये प्रोपराईटर [illegible]
[illegible]एल.एन. मार्ग जयपुर

मेसर्स शिवम डवलपर्स जरिये प्रोपरा[illegible]
[illegible]रोड जयपुर

[illegible]हरिकिशन पुत्री श्री नारायण जाति [illegible]
[illegible]सांगानेर जिला जयपुर

[illegible]अमित खण्डेलवाल पुत्र श्री नाथूलाल [illegible]

[illegible]अरविन्द खण्डेलवाल पुत्र श्री नाथूलाल [illegible]

[illegible]कृष्ण अवतार गुप्ता पुत्र श्री नाथूलाल [illegible]

[illegible]नन्दकिशोर गुप्ता पुत्र श्री नाथूलाल ख[illegible]

[illegible]समस्त जाति महाजन निवासी ग्राम राम[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी – गौरव बांकावत आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024/190

1. आलोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री नाथूलाल गुप्ता जाति महाजन निवासी प्लाट नंबर एस–55 आदिनाथ नगर, जे0एल0एन0 मार्ग जयपुर।
2. श्रीमती रितु गुप्ता पत्नी श्री आलोक कुमार गुप्ता जाति महाजन निवासी प्लाट नंबर एस–55 आदिनाथ नगर, जे0एल0एन0 मार्ग जयपुर।
3. माना खण्डेलवाल पुत्री श्री आलोक कुमार गुप्ता जाति महाजन निवासी प्लाट नंबर एस–55 आदिनाथ नगर, जे0एल0एन0 मार्ग जयपुर जरिये मुख्तयारनामा आम आर्यन खण्डेलवाल पुत्र श्री आलोक कुमार गुप्ता निवासी एस–55 आदिनाथ नगर, जे0एल0एन0 मार्ग जयपुर।
4. आर्यन रियल्टी जरिये प्रोपराईटर पंजीकृत कार्यालय एस–55 आदिनाथ नगर, जे0एल0एन0 मार्ग जयपुर।
5. मैसर्स शिवम डवलपर्स जरिये प्रोपराईटर पंजीकृत कार्यालय 79 बृजपुरी, एयरपोर्ट रोड जयपुर।

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

वादीगण

बनाम

1. हरिकिशन पुत्र श्री नारायण जाति महाजन निवासी ग्राम रामनगरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. अमित खण्डेलवाल पुत्र श्री नाथूलाल खण्डेलवाल
3. अरविन्द खण्डेलवाल पुत्र श्री नाथूलाल
4. कृष्ण अवतार गुप्ता पुत्र श्री नाथूलाल खण्डेलवाल
5. नन्दकिशोर गुप्ता पुत्र श्री नाथूलाल खण्डेलवाल

समस्त जाति महाजन निवासी ग्राम रामनगरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

6. श्रीमती प्रेम देवी गुप्ता पत्नी श्री रामावतार गुप्ता जाति महाजन निवासी प्लॉट नंबर 85 से 88 शिवम नगर, एस.के. आई.टी. कॉलेज के सामने, रामनगरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण
वादी : श्री रामजीलाल चौधरी

दावा बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

--:निर्णय:--

निर्णय तिथि:—17.11.2025

वादीगण की ओर से वाद बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया जिसका वृतान्त विवरण निम्न प्रकार से है :– वादीगण व प्रतिवादी सख्या एक लगायत छः की संयुक्त आराजि भूमि हाल खसरा नम्बर 185 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 234 रकबा 1.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 235 रकबा 0.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 237 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 3.45 हैक्टेयर वाके ग्राम रामनगरिया पटवार हल्का जयपुरा भू अभिलेख नि० क्षेत्र लुंनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जिसमे वादी सख्या एक का हिस्सा 187 / 900, वादी सख्या दो का हिस्सा 13 / 150, वादी सख्या तीन का हिस्सा 113 / 690, वादी सख्या चार का हिस्सा 1 / 10, वादी सख्या पांच का हिस्सा 47 / 345 व प्रतिवादी सख्या एक का हिस्सा 1 / 10, प्रतिवादी सख्या दो का हिस्सा 37 / 900, प्रतिवादी सख्या तीन का हिस्सा 37 / 900, प्रतिवादी सख्या चार का हिस्सा 37 / 900, प्रतिवादी सख्या पांच का हिस्सा 37 / 900, प्रतिवादी सख्या छः का हिस्सा 37 / 900, राजस्व रिकार्ड में अंकित है। उक्त आराजियात को वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक लगायत छः मनबट के आधार पर बटवारां कर कृषि काश्त करते आ रहे है किन्तु उक्त आराजियात का अभी तक विधिवत बटवारा नहीं हुआ। तथा वादीगण ने अपनी आराजीयात को काफी धन व श्रम खर्च कर उपजाउ बना रखा है। तथा अपने हिस्से की भूमि को उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। वादीगण ने प्रतिवादी सख्या एक लगायत छः को कई बार उक्त आराजीयात का विधिवतं बटवारां करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आये दिन कोई न कोई बहाना बनाकर विधिवत बटवारा करने से इन्कार करते रहते है। दिनांक 5 / 8 / 2024 को वादीगण ने प्रतिवादी सख्या एक लगायत छः को विधिवत बटवारां करने के लिए कहा तो प्रतिवादी सख्या एक लगायत छः ने वादीगण को विधिवत बटवारा करने के लिए मना कर दिया। बिना विधिवत बटवारां कराये कृषि काश्त करने व अपने हिस्से की कृषि भूमि में विकास कार्य करवाने मे काफी दिक्कतो का सामना करना पड रहा है। इस कारण वादीगण को यह वाद पत्र वास्ते

सहा...
जयपुर शहर द्वितीय

तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा व सीमा निर्धारण पेश करना आवश्यक हुआ। वादीगण बटवारां करवाने की अधिकारी है कि हाल खसरा नम्बर 185 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 234 रकबा 1.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 235 रकबा 0.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 237 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 3.45 हैक्टेयर वाके ग्राम रामनगरिया पटवार हल्का जयपुरा भू अभिलेख नि० क्षेत्र लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे मिटस एण्ड बाउडस के आधार पर वादी सख्या एक का हिस्सा 187/900, वादी सख्या दो का हिस्सा 13/150, वादी सख्या तीन का हिस्सा 113/690, वादी सख्या चार का हिस्सा 1/10, वादी सख्या पांच का हिस्सा 47/345 का बटवारां कर अलग से खाता बनवाया जाये तथा उसी अनुसार लगान निर्धारण करते हुये सीमा निर्धारित की जावे। तथा प्रतिवादी सख्या एक लगायत छः को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि जब तक उक्त आराजियात का विधिवतं बटवारा नही हो जाता तब तक उक्त आराजियात की मौके व रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखे। प्रतिवादी सख्या सात को राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे जाने बाबत पाबन्द फरमाया जावे।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि हाल खसरा नम्बर 185 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 234 रकबा 1.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 235 रकबा 0.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 237 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 3.45 हैक्टेयर वाके ग्राम रामनगरिया पटवार हल्का जयपुरा भू अभिलेख नि० क्षेत्र लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे मिटस एण्ड बाउडस के आधार पर वादी सख्या एक का हिस्सा 187/900, वादी सख्या दो का हिस्सा 13/150, वादी सख्या तीन का हिस्सा 113/690, वादी सख्या चार का हिस्सा 1/10, वादी सख्या पांच का हिस्सा 47/345 का बटवारां कर अलग से खाता बनवाया जाये तथा उसी अनुसार लगान निर्धारण करते हुये सीमा निर्धारित की जावे। प्रतिवादी सख्या एक लगायत छः को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि जब तक उक्त आराजियात का विधिवतं बटवारा नही हो जाता तब तक उक्त आराजियात की मौके की यथास्थिती बनाये रखे। प्रतिवादी सख्या सात को मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे जाने बाबत पाबन्द फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की तामील डिलीवर रिपोर्ट कन्फर्म है प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने नोटिस लेने से इन्कार किये जाने पर नोटिस लौटकर प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। बावजूद सूचना प्रतिवादी संख्या 1 से 7 अनुपस्थित रहने पर उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद में में बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात हाल जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण व प्रतिवादीगण वादग्रस्त

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

आराजीयात में सह–खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है जिनके मध्य आदिनांक तक विधिवत तकासमा नही हुआ है इसलिए वाद में तकासमा किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात हाल खसरा नम्बर 185 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 234 रकबा 1.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 235 रकबा 0.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 237 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 3.45 हैक्टेयर वाके ग्राम रामनगरिया पटवार हल्का जयपुरा भू अभिलेख नि० क्षेत्र लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित का विधि सम्मत मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में तकासमा कर अलग–अलग खाता कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तीन प्रतियों में तैयार कर न्यायाल में भिजवायें।

न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3595 दिनांक 05.05.2025 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई जो निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	खाता सं.	खातेदार	खसरा नंबर	रकबा
1	26	01. अमित खण्डेलवाल पुत्र नाथू लाल खण्डेलवाल हिस्सा 37/900 जाति महाजन निवासी ग्राम रामनगरिया जगतपुरा जयपुर। 02. अरविन्द खण्डेलवाल पुत्र नाथू लाल खण्डेलवाल हिस्सा 37/900 जाति महाजन नि. ग्राम रामनगरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर 03. आर्यन रियल्टी हिस्सा 1/10 पंजीकृत कार्यालय एस–55 आदिनाथ नगर जे एल एन मार्ग जयपुर। 04. आलोक कुमार गुप्ता पुत्र नाथूलाल गुप्ता हिस्सा 187/900 जाति महाजन सा0देह 05. उषा खण्डेलवाल पत्नि नन्द किशोर खण्डेलवाल हिस्सा 407/12762 जाति महाजन निवासी प्लाट नंबर 4 शंकर विहार कॉलोनी जगतपुरा जिला जयपुर। 06. कृष्ण अवतार गुप्ता पुत्र नाथू लाल गुप्ता हिस्सा 37/900 जाति महाजन निवासी ग्राम रामनगरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर। 07. नन्द किशोर गुप्ता पुत्र नाथू लाल खण्डेलवाल हिस्सा 1961/212700 जाति महाजन निवासी ग्राम रामनगरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर। 08. प्रेम देवी गुप्ता पत्नि रामावतार गुप्ता हिस्सा	185 234 235 236 237	0.7200 1.1500 0.9200 0.5300 0.1300

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

		37/900 जाति महाजन निवासी प्लाट नंबर 85 से 88 शिवम नगर, एस के आई टी कॉलेज के सामने, रामनगरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर। 09. मैसर्स शिवम् डवेलपर्स हिस्सा 47/345 पंजीकृत कार्यालय 79 बृजपुरी एयरपोर्ट रोड जगतपुरा जयपुर जिला जयपुर। 10. माना खण्डेलवाल पुत्री आलोक कुमार गुप्ता हिस्सा 113/690 जाति महाजन निवासी मकान नंबर एस–55 आदिनाथ नगर जे एल एन मार्ग जयपुर। 11. रितु गुप्ता पत्नि आलोक कुमार गुप्ता हिस्सा 13/150 जाति महाजन निवासी एस--55 आदिनाथ नगर जेएलएन मार्ग जयपुर। 12. हरिकिशन पुत्र श्रीनारायण हिस्सा 1/10 जाति महाजन सा0देह		
		योग	05	3.4500

प्रस्तावित कुर्रेजात रिपोर्ट :–

पक्षकार सं.	खातेदार का नाम मय वल्दीयत	खसरा नं.	रकबा	किस्म
01	प्रेम देवी गुप्ता पत्नि रामावतार गुप्ता हिस्सा सम्पूर्ण जाति महाजन निवासी – प्लॉट नंबर 85 से 88, शिवम नगर, एस.के.आई.टी. कॉलेज के सामने, रामनगरिया तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।	234 मि.	0.1418	
	योग	**01**	**0.1418**	
02	हरिकिशन पुत्र श्रीनारायण हिस्सा सम्पूर्ण जाति महाजन सा0देह	185 मि.	0.3450	
	योग	**01**	**0.3450**	
03	अमित खण्डेलवाल पुत्र नाथू लाल खण्डेलवाल हिस्सा 1/4 जाति महाजन निवासी ग्राम रामनगरिया जगतपुरा जयपुर, अरविन्द खण्डेलवाल पुत्र नाथू लाल खण्डेलवाल हिस्सा 1/4 जाति महाजन निवासी ग्राम रामनगरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर कृष्ण अवतार गुप्ता पुत्र नाथू लाल गुप्ता हिस्सा 1/4, जाति महाजन निवासी ग्राम रामनगरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर नन्द किशोर गुप्ता पुत्र नाथू लाल खण्डेलवाल हिस्सा 1961/212700 जाति महाजन निवासी ग्राम रामनगरिया तहसील सांगानेर उषा खण्डेलवाल पत्नि नन्द किशोर खण्डेलवाल हिस्सा 407/12762 जाति	235 मि.	0.5673	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

	महाजन निवासी प्लाट नंबर 4 शंकर विहार कॉलोनी जगतपुरा जिला जयपुर।			
	योग	01	0.5673	
04	आलोक कुमार गुप्ता पुत्र नाथूलाल गुप्ता हिस्सा 187/900 जाति महाजन सा0देह शंकर विहार कॉलोनी जगतपुरा जिला जयपुर, रितु गुप्ता पत्नि आलोक कुमार गुप्ता हिस्सा 13/150 जाति महाजन नि.एस. 55 आदिनाथ नगर जेएलएन मार्ग जयपुर, माना खण्डेलवाल पुत्री आलोक कुमार गुप्ता हिस्सा 113/690 जाति महाजन नि. मकान नंबर एस–55 आदिनाथ नगर जे एल एन मार्ग जयपुर, आर्यन रियल्टी हिस्सा 1/10 पंजीकृत कार्यालय एस–55 आदिनाथ नगर जे एल एन मार्ग जयपुर, मैसर्स शिवम् डवलपर्स हिस्सा 47/345 पंजीकृत कार्यालय 79 बृजपुरी एयरपोर्ट रोड जगतपुरा जयपुर जिला जयपुर	234 मि. 235 मि. 236 237 185 मि.	1.0082 0.3527 0.5300 0.1300 0.3750	
	योग	05	2.3959	

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट वास्ते आपत्ति नियत की गई। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 व 5 की ओर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की गई कि : तहसीलदार सांगानेर द्वारा जो कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई है वो बिना पक्षकारान् की उपस्थिति, बिना मौका अवलोकन किये व मिलीभगत के तहत मनमर्जी रूप से कब्जे के विपरीत तैयार कर पेश की गई है जिसका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। पक्षकारान् के मध्य वादग्रस्त भूमि का पूर्व में बंटवारानामा हो चुका है तथा और पक्षकारान् बंटवारानामा अनुसार अपने–अपने हिस्से पर मौके पर काबिज है लेकिन उक्त बंटवारेनामें के विपरीत कुर्रेजात रिपोर्ट मिलीभगत रूप से मनमर्जी रूप से तैयार करवाकर बिना मौका अवलोकन प्रस्तुत की गई है उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट में राजस्थान काश्तकारी नियम 18 से 21 के अनुसार हरेक खातेदार के अलग–अलग प्रस्ताव तैयार किये जाते है उनमे नियमों का ध्यान रखा जाता है लेकिन प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट में ना तो नियमों का ध्यान रखा गया, ना ही कानून अनुसार रिपोर्ट तैयार की गई, ना ही पक्षकारों की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई, ना ही मौके पर जाकर कुर्रेजात तैयार की गई। इस प्रकार दूषित कुर्रेजात रिपोर्ट को निरस्त करवाकर पक्षकारान् की उपस्थिति में पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगाई जानी न्यायहित में आवश्यक है।

अधिवक्ता वादी ने प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का जवाब न देकर सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया। वकील वादीगण की बहस आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट प्रार्थना पत्रों पर सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया कि पक्षकारान् के मध्य पूर्व में किसी प्रकार का बंटवारानामा नही हो रखा है प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा केवल मात्र प्रकरण में देरी करने के उद्वेश्य से यह कथन अंकित किये है तहसीलदार महोदय द्वारा प्रतिवादीगण व वादीगण को नोटिस

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

जारी करने के उपरांत मौके पर उपस्थित होकर उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की है प्रतिवादीगण ना तो बावजूद सूचना मौके पर उपस्थित हुये, ना ही उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट मौके के विपरित तैयार की गई है। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार महोदय द्वारा मौके पर मुताबिक निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो पूर्ण रूप से सही है। अतः प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार कर वाद में अन्तिम डिक्री जारी की जावें।

वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को आपत्ति बहस हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी बहस नही करने पर बहस आपत्ति कुर्रेजात का अवसर बंद किया गया। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्राप्त कुर्रेजात रिपोट, प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्रों का मय पत्रावली अवलोकन किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति की गई है कि है। पक्षकारान् के मध्य वादग्रस्त भूमि का पूर्व में बंटवारानामा हो चुका है तथा और पक्षकारान् बंटवारानामा अनुसार अपने-अपने हिस्से पर मौके पर काबिज है लेकिन उक्त बंटवारेनामें के विपरीत कुर्रेजात रिपोर्ट मिलीभगत रूप से मनमर्जी रूप से तैयार कर भिजवाई गई है। लेकिन प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपने इन कथनो को कि पूर्व में बंटवारानामा हो चुका है साबित करने हेतु ना तो कोई दस्तावेजात प्रस्तुत किये है ना ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है ना ही बहस की है जिससे साबित हो कि उक्त कुर्रेजात बंटवारानामा के विपरित तैयार की गई है। प्रार्थी/प्रतिवादीगण की दूसरी आपत्ति की उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पक्षकारान् की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। इस आपत्ति को भी वकील वादीगण द्वारा खारिज किया गया है। जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आपत्ति केवल मात्र प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है क्योंकि प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों को साबित करने में प्रार्थी/प्रतिवादीगण असफल रहे है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादीगण का आपत्ति प्रार्थना पत्र कुर्रेजात रिपोर्ट अपोषणीय होने से खारिज किया जाकर तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादीगण व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद करें। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इस आशय की अन्तिम डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

आलोक कुमार बनाम हरिकिशन व अन्य
2024/190
निर्णय दिनांक : 17.11.2025

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** व
इजलास **गौरव बांकावत** (आर.ए.एस.)

आलोक कुमार **बनाम** हरिकिशन वगै.

दावा बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – दावा/2024/190

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री गौरव बांकावत व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादीगण व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करें। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

निज .... मुबलिग .... बाबत् ....
.. खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.11.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

दस्तखत ....
सहायक कलक्टर

ओहदा ....जयपुर शहर द्वितीय....

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner